विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

बजट संबंधी प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 1996-1997)

विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कार्यालय, स्नातकोत्तर विभागों, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय के पदों का सत्यापन गहन रूप से किया गया। पदों के सत्यापन के लिए निम्नांकित विन्दुओं को आधार माना गया है ।

1. 15.8.76 तक नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पद को स्वत: सृजित पद मान लिया गया है । क्योंकि 15.8.76 के पूर्व पद सृजन का अधिकार विश्वविद्यालयों में ही अधिरोपित था । अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के पद सृजन भी विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने का अधिनियम में प्रावधन था ।

2. 15.8.76 के बाद पद सृजन राज्य सरकार द्वारा किये जाने का प्रावधान अधिनियम में है । अत: इसके बाद समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सृजित किए गये पदों को माना गया है।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. संख्या-409/91 में पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद ।

4. प्रभाजन के कारण एवं विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व स्थानान्तरित पदों को स्वीकृत माना गया है ।

5. अल्प संख्यक महाविद्यालय के मामलों में भी उपर्युक्त को ही आधार माना गया है ।

2. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कार्यालय, स्नातकोत्तर विभागों एवं विभिन्न महाविद्यालयों के पदों का सत्यापन कार्य पूरा किया गया है । विभिन्न महाविद्यालयों के मामले में पद-सत्यापन करते समय विषयवार भी पद सृजन के औचित्य एवं राज्यादेशों का सत्यापन किया गया है।

3. पद सत्यापनोपरांत विनोबा भावे विश्वविद्याालय के स्नातकोत्तर विभागों सहित विभिन्न महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों का ब्योरा निम्न प्रकार है:

(अनुलग्नक 1, 2 एवं 3)

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	अतिरिक्त	रिक्त
1. प्रधानाचार्य	15	12	-	3
2. शिक्षक(612+43)	655	614	-	41
3. प्रयोग प्र.	36	36	-	-
4. पदाधिकारी	11	7	-	4
5. तृतीय व.क.	560	438	-	122
6. चतुर्थ व.क.	532	508	-	24

नोट: शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 655 के विरुद्ध 614 विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों में वि.वि. प्राचार्य, उपाचार्य एवं व्याख्याता की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है:

(कृ० पृ० उ०)

शिक्षक के पद (व्याख्याता)

1. वि.वि.प्राचार्य (प्रोन्नत)	11	वि.वि.से.आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त/प्रोन्नत ।
2. उपाचार्य (प्रोन्नत)	296	वही
3. व्याख्याता	191	वि॰ वि॰ से॰ आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त ।
4. नव-नियुक्त व्याख्याता	116	वही
	कुल- 614	

5. व्याख्याता के 43 अतिरिक्त पदों पर विधिवत् रूप से नियुक्त शिक्षक कार्यरत है ।

6. प्रयोग प्रदर्शक	36	अधिकांश व्याख्याता एवं उपाचार्य के रूप में प्रोन्नत एवं कार्यरत ।

4. सम्प्रति विश्वविद्यालय में विभिन्न कोटि के शिक्षकों का वेतन-मान निम्नप्रकार है :

क्र॰	पदनाम	वेतनमान्	औसत	वेतनवृद्धि सहित औसत वेतन.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	वि.वि.प्राचार्य	4500-7300	5,960	6,100	प्राप्त कर रहे अधिकतम एवं न्यूनतम शिक्षकों के वेतन के आधार पर ।
2.	उपाचार्य	3700-5700	4,700	5,300	अधिकांश 1.2.85 से प्रोन्नत
3.	व्याख्याता	2200-4000	3,100	3,500	सभी 1980 के पूर्व नियुक्त
4.	प्र.प्र.	2200-4000	3,100	3,500	तदैव

नोट: 1. विश्वविद्यालय प्राचार्य, उपाचार्य, व्याख्याता एवं प्रयोग प्रदर्शक जो प्रोन्नति पा कर व्याख्याता, उपाचार्य बन गए हैं, के मामले में वेतन-वृद्धि को आधार मानते हुए वेतन की गणना औसत के आधार पर की गयी हे जो उपर कॉलम - 5 में दर्शाया गया है ।

2. प्रयोग प्रदर्शक का पद सेवा - निवृत या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वह स्वत: समाप्त होता जाएगा । इसलिए इनके रिक्त पदों की गणना नहीं की गई है ।

5 .इसी प्रकार तृतीय वर्गीय कर्मचारियों के मामले में निम्नांकित वेतन-मान को आधार मानते हुए वेतन-वृद्धि के साथ एक औसत मान कर गणना की गई है ।

(क) तृतीय वर्गीय कर्मचारी

1. 1640 - 2900
2. 1500 - 2750
3. 1400 - 2600
4. 1400 - 2300
5. 1320 - 2040
6. 1200 - 1800
7. 975 - 1540

$$\frac{25365}{7} = \frac{3623}{2} = 1812 \quad \text{अथवा } 2000.00$$

नोट: अधिकांश कर्मचारी 1975 के पुर्व नियुक्त हैं। अत: औसत वेतन 2000 रू.न्यूनतम करना उचित प्रतीत होता है।

(ख) चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी

1.	825-1200
2.	800-1150
3.	775-1025
4.	950-1400

$\frac{8125}{4} = \frac{2031}{2}$ = 1015 या 1015.00 (वेतन वृद्धि सहित)

नोट :- ये सभी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पूर्व से नियुक्त हैं । अत: वेतन वृद्धि के साथ औसत वेतन के आधार पर गणना की गई है ।

6. उपरोक्त औसत वेतन के आधार पर (औसत वेतन) प्रति माह

क्र.सं.	पदनाम	वेतन	म.भ.	मकान भत्ता नगर क्षति.पू. भत्ता सहित	चि.भ.	अ.सहा.	वि.भ.	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रधानाचार्य (उपाचार्य के वेतनमान में)	5300	5883	500	50	100	150	11,983
2.	वि.वि.प्राचार्य	6100	6660	500	50	100	-	13,410
3.	उपाचार्य	5300	5883	500	50	100	-	11,833
4.	व्याख्याता	3500	5180	300	50	100	-	9,130
5.	प्र.प्र. (रीडर/व्याख्याता)	3500	5180	300	50	100	-	9,130
6.	नव-नियुक्त व्याख्याता	2200	3256	220	50	100	-	5,826
7.	तृ. व.क.	2000	2960	220	50	100	-	5,330
8.	च.व.क.	1015	1502	150	50	100	-	2,817

7. उपरोक्त औसत वेतन के आधार पर वार्षिक औसत

1.	विश्वविधालय प्राचार्य	11 x 13,410 x 12 =	17,70,120
2.	प्रधानाचार्य	12 x 11,983 x 12 =	17,25,552
3.	उपाचार्य	296x 11,833 x 12 =	4,20,30,816
4.	व्याख्याता	191 x 9,130 x 12 =	2,09,25,960
5.	प्रयोग प्रदर्शक योग 510		
	(क) उपाचार्य	10 x 11,833 x 12] =	42,68,520
	(ख) प्र० प्र०	26 x 9,130 x 12]	
6.	नव-नियुक्त शिक्षक	116 x 5,826 x 3.5 =	23,65,356
		कुलयोग =	7,30,86,324

2. पदाधिकारी (कुल स्वीकृत पद - 11)

वास्तविक व्यय - = 11,11,764.00

3. तृतीय वर्गीय कर्मचारी (कुल स्वीकृत पद - 560)
(औसत वेतन) प्रति वर्ष

तृतीय वर्गीय कर्मचारी - 438 x 5330 x 12 = 2,80,14,480.00

4. चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी- (कुल स्वीकृत पद - 532)
(औसत वेतन प्रति वर्ष)

चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी- 508 x 2817 x 12 = 1,71,72,432.00

(क) नवांगीभूत महाविद्यालय कुल संख्या - 4
(औसत वेतन प्रति वर्ष)

1. प्राचार्य	4 x 11,983 x 12	=	5,75,184.00
2. व्याख्याता-	220 x 9130 x 12	=	2,41,03,200.00
3. शिक्षकेत्तर कर्म. (तृतीय वर्ग)	84 x 5330 x 12	=	53,72,640.00
4. च.व.कर्म.	112 x 2817 x 12	=	37,86,048.00
	कुल योग	=	3,38,37,072.00

(ख) अल्पसंख्यक महाविद्यालय (कुल संख्या- 1
(औसत वेतन प्रति वर्ष)

1. प्राचार्य	1 x 11,983 x 12	=	1,43,796.00
2. व्याख्याता-	21 x 9130 x 12	=	23,00,760.00
3. शिक्षकेत्तर कर्म. (तृतीय वर्ग)	9 x 5330 x 12	=	5,75,640.00
4. च.व.कर्म.	9 x 2817 x 12	=	3,04,236.00
	कुल योग	=	33,24,432.00

सेवा निवृत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर
कर्मचारी सहित कुल भूगतेय राशि

1. शिक्षक - 69
2. तृतीय वर्ग]
3. चतुर्थ वर्ग] - 30 1,07,53,298.00

(वास्तविक भूगतेय राशि) 1,07,53,298.00

आकस्मिक मद

क्रम सं.	मद	संख्या	प्रस्तावित राशि
1.	वि.वि.कार्यालय	-	1,00,00,000.00
2.	स्नातकोत्तर विभाग	6	90,000.00
3.	अंगीभूत महा.	15	36,50,000.00
4.	नवांगीभूत महा.	4	7,50,000.00
5.	अल्पसंख्यक महा.	1	2,50,000.00
		कुल योग -	1,47,40,000.00

नोट: 1. जुलाई, 96 से लागु 159 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की गणना अलग से की जा रही है।

2. विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वेतन मान से अधिक भुगतान कर रहा है । अतएव, इसे स्वीकृत वेतन मान के अनुरूप वेतन पुनरिक्षीत कर भुगतान करें तथा पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली की कार्रवाई भी करें ।

3. अस्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जाय और उन्हें अविलंब हटा दिया जाय ।

4. जिस महाविद्यालय में स्वीकृत पद से अधिक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी कार्यरत हैं, किन्तु विधिवत् रूप से नियुक्त हैं, उन्हें वैसे महाविद्यालयों में पदस्थापित किया जाय जहाँ रिक्तियाँ उपलब्ध हो तथा तदनुकूल ही भुगतान करें ।

5. विश्वविद्यालयों को आकस्मिकता मद में एक करोड़ रूपए की राशि दर्शायी गई है जो उनकी आय तथा शिक्षण शुल्क एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त आय के बराबर है । अगर विश्वविद्यालय अपनी आय की राशि को सरकारी कोष में जमा कर दें तो आकस्मिकता मद में दर्शायी गई राशि का भुगतान उन्हें अलग से किया जायेगा ।

6. स्नातकोत्तर विभागों के लिए विज्ञान विषयों जिसमेंप्रायोगिक वर्ग/परीक्षाएँ होती है,उनके लिए 50-50 हजार प्रति विभाग, कला के उन विषयों जिसमें प्रायोगिक वर्ग/ परीक्षाएँ होती हैं उनके लिए 25-25 हजार प्रति विभाग, एवं शोध विषयों के लिए 15-15 हजार रूपए की दर से आकस्मिकता मद में गणना की गई है ।

7. अंगीभूत महाविद्यालयों/नवांगीभूत महाविद्यालयों के संबंधी में आकस्मिकता मद में दर्शायी गई राशि छात्रों की संख्या के आधार पर है । जिन महाविद्यालयों में 2000 से अधिाक छात्र हैं उनके लिए 2.50 लाख, जिन महाविद्यालयों में 1000 से 2000 के बीच छात्र हैं उनके लिए 1.50 लाख एवं जिन महाविद्यालयों में 1000 से कम छात्र हैं उनके लिए 1.00 लाख रूपए के आधार पर गणना की गई है ।

परिनियत अनुदान :

यह नया विश्वविद्यालय है । अत: इसके लिए रू. 60,00,000.00 प्रति वर्ष के दर से वर्ष 96-97 के बजट में परिनियत अनुदान के प्रावधान किया जाना अनिवार्य प्रतीत होता है ।

इस प्रकार विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के लिए वार्षिक बजट की गणना निम्न प्रकार की जाती है:

1.	शिक्षक	7,30,86,324.00
2.	पदाधिकारी	11,11,764.00
3.	तृतीय वर्गीय कर्मचारी	2,80,14,480.00
4.	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	1,71,,72,432.00
5.	नवांगीभूत महाविद्यालय	3,38,37,072.00
6.	अल्पसंख्यक महाविद्यालय	33,24,432.00
7.	सेवा निवृत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी	1,07,53,298.00
8.	आकस्मिकता मद	1,47,40,000.00
9.	परिनियत अनुदान (प्रस्तावित)	60,00,000.00
	कुल योग =	18,80,39,802.00

नोट : 1. पृष्ट 1 के क्रमांक 2 में दर्शित 43* शिक्षक विधिवत् नियुक्त एवं कार्यरत हैं। अधिकांश शिक्षक रांची विश्वविद्यालय द्वारा विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व ही पदस्थापित किये गये थे। कुछ शिक्षक रांची विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित पदों पर विधिवत् नियुक्त एवं कार्यरत हैं। अत: ये पद विधिवत् स्वीकृत है ।

2. विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तृतीय वर्गीय कर्मचारी के कुल 122 रिक्त पद एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के कुल 24 रिक्त पदों को (आरक्षित कोटि में) समाचार पत्रों के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित कर दिया गया है । ये पद वर्ष 97-98 में निश्चित रूप से भर दिये जायेंगे । अत: इस हेतु रू. 86, 14,416.00 का प्रावधान अपेक्षित है।
(क) तृतीय वर्ग- 122 (ख) चतुर्थ वर्ग - 24

15/3/97

(डॉ. विद्यासागर यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा,
बिहार,पटना.

15/3/97

(गंगाधर झा)
सरकार के विशेष सचिव,
वित्त विभाग, बिहार.

अनुलग्नक-

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

स्नातकोत्तर विभाग/अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के पदों की विस्तृत विवरणी का सारांश :- (नवांगीभूत महा० छोड़ कर)

क्र० सं०	विभाग/केन्द्र/महा० वि० का नाम	प्रधानाचार्य			शिक्षकों का विवरण				प्रयोग प्रर्दशक		
		स्वी०	कार्य०	रिक्त	स्वी०	कार्य०	रिक्त	अति०	स्वी०	कार्य०	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	स्नातकोत्तर विभाग				22	21	1				
2	संत कोलम्बा महा० वि०	1	1		85	85			12	12	
3	के० बी० महिला म० वि०	1	1		27	37		10			
4	रामगढ़ महाविद्यालय	1	1		27	25	2		1	1	
5	एस० एस० एल० एन० टी० महिला म० वि०	1	1		67	60	7		2	2	
6	पी० के० राय मेमोरियल म० वि०	1	1		40	40			6	6	
7	सिन्दरी म० वि०	1		1	32	44		12	2	2	
8	आर० एस० पी० महा०	1	1		57	46	11		7	7	
9	आर० एस० मोर महा०	1		1	21	28		7			
10	बी० एस० के० महा०	1	1		48	46	2				
11	कतरास महाविद्यालय	1		1	26	18	8				
12	बी० एस० सिटी महा०	1	1		31	40		9			
13	के० बी० महाविद्यालय	1	1		25	22	3		2	2	
14	गिरीडीह महाविद्यालय	1	1		50	47	3		4	4	
15	जे० जे० महाविद्यालय	1	1		32	33		1			
16	चतरा महाविद्यालय	1	1		22	22					
	योग :-	15	12	3	612	614	37	39	36	36	00

नोट :- कार्यरत शिक्षकों में नव नियुक्त शिक्षकों की भी गणना की गई है।

अनुलग्नक-2

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

नव नियुक्त शिक्षकों के पदस्थापना के बाद विश्वविद्यालय में कुल कार्यरत शिक्षकों की विषयवार सूची:-

क्र० सं०	विषय का नाम	स्वीकृत कुल पद	पूर्व से कार्यरत की संख्या	नवनियुक्त शिक्षक की संख्या	रिक्त	वि० वि० की स्थापना के पूर्व से राँची वि० वि० द्वारा स्थानान्तरित परन्तु विधिवत नियुक्त की अतिरिक्त संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
	प्रधानाचार्य	15	12		3		
1	हिन्दी	57	38	15	4		
2	अंग्रेजी	60	45	7	8		
3	उर्दू	15	12	3			
4	बंगाली	20	9	3	8		
5	संस्कृत	12	10		2		
6	परसियन एवं अरबिक	1			1		
7	उड़िया	1			1		
8	इतिहास	44	38	13		-7	
9	अर्थशास्त्र	42	30	8	4		
10	राजनीतिशास्त्र	43	42	7		-6	
11	दर्शनशास्त्र	34	29	9		-4	
12	मानवशास्त्र	5	3		2		
13	मनोविज्ञान	27	22	4	1		
14	गृहविज्ञान	8	6+1		1		
15	संगीत	2	1		1		
16	भूगोल	11	12	1		-2	
17	भौतिकी	45	33	7	5		
18	रसायनशास्त्र	46	35	9	2		
19	गणित	43	36	8		-1	
20	वनस्पतिशास्त्र	26	26	3		-3	
21	जन्तुविज्ञान	27	27	8		-8	
22	भूगर्भशास्त्र	1	6	2		-7	
23	वाणिज्य	42	38	9		-5	
	योग	612	489	116	41	43	
24	प्रयोग प्रदर्शक	36	36				* शुद्ध अति.*2
	योग	36	36				

नोट :- स्तंभ 6 में दर्शित 41 पद रिक्त है और स्तंभ 7 में 43 पद अतिरिक्त है। इस प्रकार अति० पद मात्र 2 है।ज्ञातव्य है कि ये 43 नियुक्तियाँ विधिवत है और इस वि० वि० की स्थापना के पूर्व से राँची वि० वि० द्वारा पदस्थापित है। अतः इसे प्रभाजित मानते हुए सृजित पद माना जाय।

पत्रांकः 05/प02-03/2004-......1114......

झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002

संकल्प

विषय :- **विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत 19 (उन्नीस) स्नातकोत्तर विभागों में शिक्षकों के कुल 70 पदों (40 सहायक प्राध्यापक, 20 सह-प्राध्यापक एवं 10 प्राध्यापक) के सृजन की स्वीकृति।**

विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग की स्थापना राँची विश्वविद्यालय से दिनांक 17 दिसम्बर, 1992 कर बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-3 f के द्वारा राज्य विश्वविद्यालय के रूप में की गई है। बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2 (f) में वर्ष 1993 से एवं 12 (B) में 17.10.2002 में पंजीकृत है। यह विश्वविद्यालय वर्ष 2016 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा B++ (2.77) प्रत्यायित है। वर्ष 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी National Institutional Ranking Framework (NIRF) में 101 से 150 के मध्य अपना स्थान प्राप्त करने का गौरव बिहार व झारखंड राज्य में केवल इसी विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग की स्थापना (1992) के बाद विभिन्न चरणों में कुल 19 स्नातकोत्तर विभागों में पठन-पाठन प्रारंभ किया गया है। विश्वविद्यालय गठन के पूर्व से संत कोलम्बा महाविद्यालय, हजारीबाग में स्नातकोत्तर केन्द्र के रूप में छः विषयों यथा- इतिहास, राजनीतिविज्ञान, गणित, हिन्दी, अंग्रेजी एवं अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई चल रही है, जिसके लिए तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा कुल 22 शैक्षणिक पद (06 प्राध्यापक, 06 सह-प्राध्यापक एवं 10 सहायक प्राध्यापक) को भी स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसे राज्य शिक्षा निदेशालय, झारखंड सरकार के पत्रांक- 5/प2-02/2006 शि-05, दिनांक 31.01.2007 के द्वारा स्पष्ट किये गये वर्ष 1996 -97 के बजट मे अंकित बिनोवा भावे विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षकों के पदों को मानव संसाधन विकास विभाग तथा वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा सत्यापित एवं सृजित पद माना गया है। चूंकि पद सृजन संबंधी अन्य दस्तावेज की उपलब्धता न होने के कारण 1996-97 के बजट में अंकित इन पदों को पूर्व में सृजित स्वीकृत बल की कोटि में रखा गया है।

02. विश्वविद्यालय के गठन काल से ही यू0जी0सी0 मानक के अनुरूप शिक्षकों का पद सृजन नहीं किया जा सका है। विश्वविद्यालय के स्तर से राज्य गठन के पूर्व मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार एवं राज्य गठन के पश्चात् मानव संसाधन विकास विभाग सम्प्रति उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार, राँची से पदों के सृजन हेतु याचना नियमित रूप से की जा रही है, जिसके आलोक में स्नातकोत्तर विभागों के लिए शैक्षणिक पदों का सृजन किया जाना है।

03. राज्य के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत 19 (उन्नीस) स्नातकोत्तर विभागों में शिक्षकों के पदों का सृजन किया जाना है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं शोध हेतु

सभी आवश्यक कार्य किये जा सकें तथा नैक के उच्च स्तर A ++ को प्राप्त कर सकें एवं NIRF की उच्च श्रेणी प्राप्त कर सकें।

अतः उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा दिनांक 21.02.2022 को की गयी अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 21.06.2022 में मद संख्या–05 के रूप में प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में निम्नांकित 70 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :–

क्र0	विभाग का नाम	पूर्व से सृजित पदों की संख्या			नये सृजित पदों की संख्या			कुल पदों की संख्या		
		प्राध्यापक	सह प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	प्राध्यापक	सह प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	प्राध्यापक	सह प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक
01	मानव विज्ञान	—	—	—	01	01	02	01	01	02
02	वनस्पति शास्त्र	—	—	—	01	01	01	01	01	01
03	रसायन शास्त्र	—	—	—	01	01	02	01	01	02
04	वाणिज्य	—	—	—	01	03	06	01	03	06
05	अर्थशास्त्र	01	01	01	00	01	02	01	02	03
06	अंग्रेजी	01	01	02	00	00	02	01	01	04
07	भूगोल	—	—	—	01	01	03	01	01	03
08	भू:गर्भ शास्त्र	—	—	—	01	01	02	01	01	02
09	हिन्दी	01	01	02	00	01	02	01	02	04
10	इतिहास	01	01	01	00	01	02	01	02	03
11	गृहविज्ञान	—	—	—	00	01	01	00	01	01
12	गणित	01	01	02	00	01	02	01	02	04
13	दर्शनशास्त्र	—	—	—	00	01	02	00	01	02
14	भौतिकी	—	—	—	01	01	03	01	01	03
15	राजनीतिविज्ञान	01	01	02	00	01	02	01	02	04
16	मनोविज्ञान	—	—	—	01	01	01	01	01	01
17	संस्कृत	—	—	—	00	01	01	00	01	01
18	उर्दू	—	—	—	01	01	02	01	01	02
19	प्राणीशास्त्र	—	—	—	01	01	02	01	01	02
.	कुल :–	**06**	**06**	**10**	**10**	**20**	**40**	**16**	**26**	**50**

04. प्रस्ताव पर दिनांक 21.06.2022 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–05 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखंड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(के0के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 05/प02–03/2004 ....1114....../ रॉंची, दिनांक :– 22/07/2022

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), डोरण्डा, राँची/ई–गजट, नोडल पदाधिकारी, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियों इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(के0के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 05/प02–03/2004 ....1114....../ रॉंची, दिनांक :– 22/07/2022

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(के0के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 05/प02–03/2004 ....1114....../ रॉंची, दिनांक :– 22/07/2022

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखंड/विकास आयुक्त, झारखंड/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, झारखंड/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, विधि विभाग, झारखंड,/विभागीय अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव, झारखंड, राँची एवं कुलसचिव, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(के0के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव